अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5/2012/22 RTA अर्जुनसिंह V/s प्रभुसिंह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री P.C. 1657 श्री भवानीसिंह रावत अभिभाषक प्रतिवादी	

28/3/25

अर्जुन सिंह बनाम प्रभुसिंह वगैरह (2012/000018)

यह अपील अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो करने बाबत पेश किये जाने से तलब की गई। माननीय राजस्व मण्डल के प्र क्रमांक निग/टीए/1742/2017/अजमेर निर्णय 2358 दिनांक 17.03.2025 मय न्यायालय हाजा का अभिलेख प्राप्त हुआ। माननीय मण्डल में विचाराधीन निगरानी संख्या 2017/1742 दिनांक 11.03.2025 को विड्रो किया जा चुका है तथा मूल राजीनामे की प्रति हाजा न्यायालय को प्रेषित की गई है।

अभिभाषक श्री भवानीसिंह रावत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 01 नियम 10 सीपीसी0 सपठित आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी सठित आदेश 41 नियम 20 सीपीसी व धारा 151 जा0दी0 दिनांक 18.03.2025 को पेश किया, जो शामिल मिसल हो।

अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 01 नियम 10 सीपीसीं0 सपठित आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी सठित आदेश 41 नियम 20 सीपीसी व धारा 151 जा0दी0) ने प्रार्थनां पत्र बाबत निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 01 व 02 ने एक राजस्व वाद कर तहत न्यायालय से वर्तमान अपीलांट की खातेदारी के साथ साथ प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों को कलमजन करने की घोषणा की डिक्री दिनांक 21.03.2011 को प्राप्त कर ली जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलांट ने माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रखी है जिसमें प्रार्थीगण भी अपीलांट के साथ प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार संयोजित है। अपीलांट अभी तक तो रेस्पोडेन्ट के हितों के लिए साथ –साथ रहा है परन्तु अब अपीलांट की नियत में खोट आने पर उसकी ओर से प्रस्तुत अपील को डिक्रीदार के क्रेता से मिल्लत कर अपील को उठाना चाहता है जिससे अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदार स्थगन आदेश हट जाये और विपक्षीगण को फायदा हो जाये जबकि उक्त आराजी में अपीलांट के साथ में प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट का बराबर का हिस्सा निहित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपील में अपीलांट कायम किये जाने के आदेश पारित करें। विकल्प में प्रार्थीगण के पितामह प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 05 होने के आधारा पर प्रार्थीगण उनके विधिक वारिसान होने से प्रार्थीगण को अपीलांट के रूप में ट्रांसपोज किये जाने के आदेश फरमावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब निवदेन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई तथा अब अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है, अतः अपीलांट उक्त अपील को आगे नहीं चलाकर विड्रो करवाना चाहते है। प्रस्तुत अपील में प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट का कोई सरोकार नहीं क्योंकि अपीलांट अपने द्वारा प्रस्तुत अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 01 नियम 10 सीपीसी0 सपठित आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी सठित आदेश 41 नियम 20 सीपीसी व धारा 151 जा0दी0 पर की गई बहस पर मनन किया तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.03.2011 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे अब अपीलांट विड्रो करवाना चाहते है। अपील की समस्त कार्यवाही का भार साधक अपीलांट होता है। अपील को चलाने अथवा विड्रो करने का संपूर्ण कार्यभार भी अपीलांट पर

---लगातार

2

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

645/2012/223 रि0/अ0 अजमेर / पुष्कर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
	20/12/2018
पेशी	श्री ... श्री

ही है। अतः यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से प्रफोर्मा पक्षकार पीडित थे तो उन्हे पृथक से अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र थे किन्तु उक्त अपील में प्रफोर्मा पक्षकार को अपीलांट संयोजित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 01 नियम 10 सीपीसी0 सपठित आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी सठित आदेश 41 नियम 20 सीपीसी व धारा 151 जा0दी0 सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो करने बाबत पर अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस के मध्य राजीनामा हो जाने से अपील में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से उक्त अपील विड्रो किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलांटस विड्रो की जाकर पत्रावली का आज ही लोकर अदातल की भावना से निस्तारण करने के आदेश न्यायहित में फरमावें। अपीलांट संख्या 2/3, 4/2, 5/1 स्वयं उपस्थित हुए। आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान उनके अभिभाषक श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका ने की।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांटस राजीनामा हो जाने के कारण अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है।

अतः अपील अपीलांटस विड्रो किये जाने से खारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल रहे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner